

(1)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

सु० न० 11/14

तारीख रजु 30.1.14

रागरतन बबाम मनोदरी वगै०
 दावाबाबत इस्तफरार हफ, बंठाना एवं स्थायी
 निषेधाज्ञा

बादी की ओर से श्री सुरेशचन्द शर्मा A.O. ने
 दावा बाबत घोषणा स्वोत्तरी तकास्मा स्थायी
 निषेधाज्ञा पेश किया। दस्तावेजों का अवलोकन
 किया गया। दावा दर्ज कर प्रतिवादी को
 जोरिये सम्मन से तलब कर प्रजावली दिनांक
 28.2.14 को पेश हो।

293-97
 6-2-14

उपजिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करोली)

28/14

वकुलाय उपस्थित पीठासन अधिकारी स्थानान्तराबी गेटे
 जातानुसार दिनांक 4.4.14 को पेश हो।

4.4.14

वकुलाय उपस्थित पीठासन अधिकारी श्री कृष्णदास
 है। गतानुसार दिनांक 15.5.14 को पेश हो।







5/14

वकुलाय उपस्थित पीठासन अधिकारी श्री जय मीठा कोषी
 है। गतानुसार दिनांक 12.6.14 को पेश हो।

12/14

बादी वकील उप०। प्रतिवादी नं० 1, 3, 4 की ओर से
 श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश
 किया। प्रतिवादी नं० 5 बावजूद सूचना उप० नहीं
 होनेसे उन्हें बिरुद एक पक्षीप कार्यवाही की जाती है।
 प्रतिवादी नं० 2 के समक की विधिवत तामीलन ही
 हुई है। पुनः तलबी व जबाब हेतु दिनांक 10/7/14
 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर लोडाभी

दिनांक	दिनांक	फर्द अहकाम
	12 ⁸ / ₁₅	नकुलाय उपरीभर / पोसादण - युगाय कोष मे वगत है। दामभार दिनांक 9-9-15 को पेश है। 
	9 ⁹ / ₁₅	फावली पेश हुई। यार की शौट के काफी दिशारीत वरसा। यार के पक्ष दिनांक 16-9-15 को पेश है। 
	16-9-15	नकुलाय उपरी नदस के लिए समय बाध। दिया गया पारि नदस दिनांक 7-10-15 को पेश है। 
10-11-11	7-10-15	वकलाय उपरी। वादी वकील ने कथन दिया कि वादी रामरत्न फौल हो चुका है अतः द. कायम  022 R. 3 CPC पेश करने दिनांक 2-11-15 को पेश है। 
	<u>2-11-15</u>	पत्रावली पेश हुई। कई बार आवाज दिलाई गई फिर भी वादी वकील एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं है अतः अदम हाजिरी अदम पेशी में दावा स्वारिज किया जाता है पत्रावली केसल सुभार होकर नम्बर से कम ही कर दाखिल दफ्तर है। 

19¹³/₁₄

उप जिला कलेक्टर
लोडाभी